कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक (राज.)

क्रमांक : स्था./2021/1/ 10744 दिनांक : 20/12/2021

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था./2021/1/9882 दिनांक 30.11.2021 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश संख्या : 14/विविध/2021 दिनांक 18.11.2021 की अनुपालना मे अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 25.12.2021 से 31.12.2021 तक शीतकालीन अवकाश अवधि मे जिला एवं सेशन न्यायाधीश/ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय बन्द रहने से उक्त अवकाश अवधि मे उनकी अनुपस्थिति में पूरे सेशन खण्ड के ऐसे आवश्यक आवेदन पत्र जो उक्त सेशन न्यायालयों के समक्ष पेश किये जायेंगे या लम्बित है, उन्हें सुनने व निपटाये जाने तथा उक्त न्यायालयों का आवश्यक सिविल कार्य भी निपटाये जाने हेतु अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा/निवाई/उनियारा/टोडारायसिंह को अधिकृत किया गया है। साथ ही उक्त शीतकालीन अवकाश अवधि में जमानत एवं निरोध अवधि की अवधि अभीवृद्धि (रिमाण्ड) सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यक सिविल मामलों को निपटाने के लिए सम्पूर्ण टोंक न्यायक्षेत्र/सेशन खण्ड के लिये सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मालपुरा/ उनियारा/ टोंक एवं अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट निवाई/ टोंक को अधिकृत किया गया है। इस कार्यालय के उक्त आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता हैं :–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की अनुपालना में जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे। परन्तु वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक का न्यायालय राजपत्रित अवकाश तथा सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर दिनांक 25.12.2021 से 31.12.2021 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में खुला रहेगा। उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारीगण शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।

इस कार्यालय के उक्त आदेशानुसार अधिकृत अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का बैठक स्थान न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक होगा एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का बैठक स्थान न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक होगा एवं न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक में कार्यरत कर्मचारीगण शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे। शेष आदेश यथावत रहेगा।

Sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक (राज.) 20/12/2021

क्रमांक : स्था./2021/1/ 10745-10791 दिनांक : 20/12/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. आदेश पत्रावली
2. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके आदेश संख्या : 14/विविध/2021 दिनांक 18.11.2021 के क्रम में सूचनार्थ।
3. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टोंक
4. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 टोंक
5. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (सा.दं.प्र.) एवं मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, टोंक
6. विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा (अ.नि.) प्रकरण, टोंक

7. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक/मालपुरा/निवाई
8. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक
9. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक
10. अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक
11. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा/उनियारा/निवाई/टोडारायसिंह
12. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड, टोंक
13. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/मालपुरा/निवाई/उनियारा/देवली/दूनी
14. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली
15. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक/देवली/निवाई
16. प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार/प्रतिलिपि/नजारत शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक
17. नोडल ऑफीसर, जिला स्तरीय कम्प्यूटर समिति, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक
18. जिला कलेक्टर, टोंक
19. जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक
20. सहायक निदेशक, अभियोजन, टोंक
21. अधीक्षक, जिला कारागृह, टोंक/मालपुरा
22. अध्यक्ष, अभिभाषक संध, टोंक/मालपुरा/निवाई/उनियारा/देवली/टोडारायसिंह/दूनी
23. कोर्ट मैनेजर/रीडर/मुंसरिम जिला न्यायालय, टोंक
24.. सिस्टम ऑफीसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आदेश को जिला एवं सेशन न्यायालय की वेवसाईट पर अपलोड करें।
25. संबंधित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक (राज.) 20/12/2021

D/2019/Sheetkalin holiday/10